न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–158 / 2023

1. भैराराम पुत्र गैम्पर राम जाति जाट निवासी 7 एसएसएम खाजूवाला

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला वगैरह

.... अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

–: आदेशः– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 48 / 29 का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा किया गया। उक्त सीमाज्ञान नियमानुसार उचित संसाधनों से नहीं किया गया इस कारण सीमाज्ञान सही नहीं हुआ। गलत सीमाज्ञान से प्रार्थी को भूमि का नुकसान व विवाद संभावित है। अतः टीम गठित कर उक्त भूमि का सही सीमा ज्ञान करवाने के आदेश करने का निवेदन किया है।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुआ जिसपर अप्रार्थीगण लालचन्द, दौलतराम व राजेश पि0 चाननराम जाति जाट निवासी लाधूवाला तहः व जिला श्रीगंगानगर मार्फत पुत्र सोहनलाल पुत्र लालचन्द जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से चक 7 एसएसएम के मु0नं0 48 / 20, 21 दो मुरब्बा मे 50.00 बीघा अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि मु0नं0 48 / 29 का मालिक भैराराम अपनी भूमि की पैमाईश करवाने के लिए अप्रार्थीगण को दिनांक 19.10. 2023 को हाजिर होना बताया गया है जबकि अप्रार्थीगण को जारी किया नोटिस बाई डाक दिनांक 02.11.23 को प्राप्त हुआ है जिसमें डाकघर की मोहर अंकित है। अप्रार्थीगण को विलम्ब से नोटिस मिलने के कारण अप्रार्थीगण समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सके इसलिए प्रार्थीगण चाहते है कि वर्तमान रकबा में चना, ग्वार की बिजाई की हुई है इसलिए भूमि पैमाईश की समय सीमा आगे बढ़ाई जाकर पैमाईश करवाई जावे। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से चक 7 एसएसएम मु0नं0 48 / 29 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह चक 7 एसएसएम मु0नं0 48 / 29 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)